राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजमोहन बनाम रूपल सैनी 1594/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
31/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 09/09/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अपीलार्थी के पास अवसर उपलब्ध है किन्तु ऐसा नही कर सीधे ही अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य उद्धरित नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अत: अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये दोनों पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	